राजस्थान सार्वजनिक जुआ अध्यादेश, 1949

1949 का अधिनियम 48

- 24 दिसंबर 1949 को प्रकाशित
- **24 दिसंबर 1949 को प्रारंभ हुआ**
- *[यह इस दस्तावेज़ का 24 दिसंबर 1949 का संस्करण है।]*

- *[नोट: मूल प्रकाशन दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है और इस सामग्री को सत्यापित नहीं किया जा सका।]*

राजस्थान सार्वजनिक जुआ अध्यादेश, 1949अध्यादेश संख्या 48 सन् 1949, राजस्थान राजपत्र (राज-पत्र) संख्या 134, दिनांक 24.12.1949 में प्रकाशित।(14 दिसम्बर, 1949 को महामहिम राजप्रमुख द्वारा प्रख्यापित)[राजस्थान राज्य] में सार्वजनिक जुआ खेलने और सामान्य जुआघर चलाने के लिए दण्ड का उपबंध करने हेतु अध्यादेश। *[1957 के अधिनियम 28 द्वारा प्रतिस्थापित।]*[राजस्थान राज्य] में सार्वजनिक जुआ खेलने और सामान्य जुआघर चलाने के लिए दण्ड का उपबन्ध करना समीचीन है। *[1957 के अधिनियम 28 द्वारा प्रतिस्थापित।]*अब, अतः, संविदा के अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महामहिम राजप्रमुख निम्नलिखित अध्यादेश बनाते तथा प्रख्यापित करते हैं:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और विस्तार.

(1)इस अध्यादेश को राजस्थान सार्वजनिक जुआ अध्यादेश, 1949 कहा जा सकेगा।(2)इस अध्यादेश की धारा 13 और 17 का विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर होगा और राजस्थान राज्य जब भी ठीक समझे, इस *अध्यादेश* की शेष धारा के समस्त या किसी भाग को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राजस्थान राज्य के भीतर किसी नगर, कस्बे, उपनगर, रेलवे स्टेशन या स्थानीय क्षेत्र पर विस्तारित *कर सकेगा और ऐसी अधिसूचना में इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए ऐसे नगर, कस्बे, उपनगर, स्टेशन या स्थानीय क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित कर सकेगा और समय* - समय पर निर्धारित सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा।ऐसे किसी विस्तार की तारीख से, कानून का बल रखने वाले किसी कानून या नियम का वह हिस्सा, जो उस शहर, नगर उपनगर, थाना या स्थानीय क्षेत्र में लागू होगा, जिस पर ऐसा विस्तार किया गया है, जो इस प्रकार विस्तारित किसी धारा से असंगत या प्रतिकूल होगा, वहां प्रभावी नहीं रहेगा।

2. परिभाषाएँ.

- इस अध्यादेश में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो,-(1)[---] *[1957 के अधिनियम 28 द्वारा लोप किया गया।]*(2)'जुआ' में दांव लगाना या शर्त लगाना शामिल है लेकिन इसमें लॉटरी शामिल नहीं है;स्पष्टीकरण.- कोई भी लेन-देन जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी भी हैसियत में किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी हैसियत में नियोजित करता है या किसी भी हैसियत में किसी अन्य व्यक्ति के साथ दांव या शर्त लगाने के लिए अनुबंध करता है, उसे 'जुआ' माना जाएगा।(3)'जुआ खेलने के साधन' में जुआ खेलने के विषय या साधन या अनुलग्नक के रूप में या जुआ खेलने या उसे सुविधाजनक बनाने

के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली कोई भी वस्तु और किसी भी जुआ खेलने के रजिस्टर या रिकॉर्ड या साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाने वाला कोई भी दस्तावेज शामिल है; और(4)'कॉमन गेमिंग हाउस' का अर्थ है-(मैं)गेमिंग के मामले में-(ए)कपास, अफीम या अन्य वस्तु के बाजार मूल्य पर या ऐसे मूल्य को बताने में प्रयुक्त संख्या के अंकों पर, या(बी)किसी ऐसी वस्तु के बाजार मूल्य में परिवर्तन की मात्रा पर या ऐसे परिवर्तन की मात्रा बताने में प्रयुक्त संख्या के अंकों पर, या(सी)किसी स्टॉक या शेयरों के बाजार मूल्य पर या ऐसे मूल्य को बताने में प्रयुक्त संख्या के अंकों पर, या(डी)जार या अन्य पात्र के भीतर से निकाले गए कागज़ों या गांठों के अंकों पर, या(इ)वर्षा या अन्य प्राकृतिक घटना के घटित होने या न होने पर, या(एफ)वर्षा की मात्रा पर या ऐसी मात्रा बताने में प्रयुक्त संख्या के अंकों पर या ऐसी मात्रा की सीमा को दर्शाने वाले किसी अन्य चिह्न या प्रतीक पर, या(जी)किसी अन्य प्राकृतिक घटना के घटित होने की सीमा तक, कोई घर, कमरा, तम्बू, बाड़ा, स्थान, वाहन, जलयान या कोई भी स्थान जिसमें ऐसा जुआ खेला जाता है या जिसमें जुआ खेलने के उपकरण रखे जाते हैं या ऐसे जुआ खेलने के लिए उपयोग किए जाते हैं; तथा(ii)जुआ खेलने के किसी अन्य रूप के मामले में, कोई भी घर, कमरा, तम्बू, बाड़ा, स्थान, वाहन, बर्तन या कोई भी स्थान जिसमें जुआ खेलने के किसी भी उपकरण को रखा जाता है या उसका उपयोग उस व्यक्ति के लाभ या फायदे के लिए किया जाता है जो ऐसे किसी उपकरण का स्वामी है, उस पर कब्जा करता है, उसका उपयोग करता है या उसे रखता है, या ऐसा घर, कमरा, तम्बू, बाड़ा, स्थान, वाहन, बर्तन या कोई भी स्थान, उसके उपयोग के लिए प्रभार के रूप में या अन्यथा किसी भी तरह से।

3. गेमिंग हाउस का स्वामित्व रखने, रखने या उसका प्रभार रखने पर जुर्माना

- जो कोई व्यक्ति, इस अध्यादेश के लागू होने वाली सीमाओं के भीतर स्थित किसी घर, कमरे, तम्बू, बाड़े, स्थान, वाहन, जलयान या स्थान का स्वामी या अधिभोगी होते हुए, या उसका उपयोग करते हुए, उसे सामान्य जुआ घर के रूप में खोलता, रखता या उपयोग करता है; औरजो कोई, पूर्वोक्त किसी घर, कमरे, तम्बू, बाड़े, स्थान, वाहन, जलयान या स्थान का स्वामी या अधिभोगी होते हुए, जानते हुए या स्वेच्छा से उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सामान्य द्यूत गृह के रूप में खोले जाने, अधिभोग में रखे जाने, उपयोग में लाए जाने या रखे जाने की अनुमति देता है; औरजो कोई पूर्वोक्त किसी घर, कमरे, तम्बू, बाड़े, स्थान, वाहन, जलयान या स्थान के प्रबन्ध की देखभाल करता है, या उसके संचालन में किसी भी प्रकार से सहायता करता है, तथा जो पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए खोला, अधिभोग किया, उपयोग किया या रखा गया है; औरजो कोई ऐसे घर, कमरे, तम्बू, बाड़े, स्थान, वाहन, जलयान या स्थान में बार-बार आने वाले व्यक्तियों को जुआ खेलने के प्रयोजन के लिए धन देगा या देगा, उसे दण्डित किया जाएगा-(ए)प्रथम अपराध के लिए, कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, *दण्डनीय होगा* ;(बी)दूसरे अपराध के लिए, कारावास से, जो [एक वर्ष] तक का हो सकेगा और न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किए जाने वाले विपरीत विशेष कारणों के अभाव में, [एक माह] से कम नहीं होगा , या तो *जुर्माने के साथ या उसके बिना*, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, और(सी)तीसरे या पश्चातवर्ती अपराध के लिए, कारावास से, जो [एक वर्ष] तक का हो सकेगा और न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किए जाने वाले विपरीत विशेष कारणों के अभाव में, [छह मास] से

कम नहीं होगा [*अधिनियम 17, 1982 द्वारा प्रतिस्थापित*] साथ में जुर्माना, जो [दो हजार रुपए] तक का हो सकेगा। *[अधिनियम 17, 1982 द्वारा प्रतिस्थापित]*

4. गेमिंग हाउस में पाए जाने पर जुर्माना

- जो कोई किसी ऐसे घर, कमरे, तम्बू, बाड़े, स्थान, वाहन, जलयान या स्थान में ताश, पासे, काउण्टर मनी या जुआ खेलने के अन्य उपकरणों के साथ खेलता या जुआ खेलता पाया जाए, या जुआ खेलने के प्रयोजन से वहां उपस्थित पाया जाए, चाहे वह किसी धन, दांव, दाँव या अन्यथा के लिए खेल रहा हो, वह अधिकतम पाँच सौ रुपए के जुर्माने से, या अधिकतम छह मास की अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा; [*अधिनियम 17, 1982 द्वारा प्रतिस्थापित]* और कोई व्यक्ति किसी सामान्य जुआ घर में किसी जुआ खेलने के दौरान या उसमें खेलते हुए पाया जाए, तो उसके बारे में, जब तक विपरीत साबित न हो जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि वह जुआ खेलने के प्रयोजन से वहां था।

5. प्रवेश करने और पुलिस को प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए अधिकृत करने की शक्तियां

- यदि जिला मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक को विश्वसनीय सूचना के आधार पर और ऐसी जांच के पश्चात, जिसे वह आवश्यक समझे, यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी मकान, कमरे, तम्बू, बाड़े, वाहन, स्थान, जलयान या स्थान का उपयोग सामान्य जुआ घर के रूप में किया जाता है;वह या तो स्वयं प्रवेश कर सकेगा, या अपने वारंट द्वारा किसी अधिकारी या पुलिस को, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त की गई रैंक से नीचे का न हो, आवश्यक सहायता के साथ रात या दिन में, और यदि आवश्यक हो तो बलपूर्वक, किसी ऐसे घर, तम्बू, कमरे, बाड़े, वाहन, स्थान, जलयान या स्थान में प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा;और वह स्वयं किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है या ऐसे अधिकारी को हिरासत में लेने के लिए प्राधिकृत कर सकता है, जिसे वह या ऐसा अधिकारी वहां पाए, चाहे वह उस समय वास्तव में जुआ खेल रहा हो या नहीं;और जुआ खेलने के सभी उपकरणों, तथा सभी धन और धन के लिए प्रतिभूतियों और मूल्यवान वस्तुओं को जब्त कर सकता है या ऐसे अधिकारी को जब्त करने के लिए अधिकृत कर सकता है, जिनके बारे में उचित रूप से संदेह है कि उनका उपयोग जुआ खेलने के प्रयोजन के लिए किया गया है या उपयोग किए जाने का इरादा है, जो उनमें पाए जाते हैं;और ऐसे अधिकारी को उस घर, कमरे, तम्बू, बाड़े, वाहन, स्थान, जलयान या स्थान के सभी भागों की तलाशी ले सकता है या तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत कर सकता है, जिसमें ऐसा अधिकारी प्रवेश कर चुका है, जब उसके या ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसमें जुआ खेलने का कोई उपकरण छिपा हुआ है और उन लोगों के शरीरों की भी, जिन्हें वह या ऐसा अधिकारी इस प्रकार अभिरक्षा में लेता है;और ऐसी तलाशी में पाए गए सभी जुआ खेलने के उपकरणों को जब्त कर सकता है या ऐसे अधिकारी को जब्त करने और कब्जे में लेने के लिए अधिकृत कर सकता है।

6. संदिग्ध घर में कार्ड आदि का पाया जाना, इस बात का प्रमाण होगा कि ऐसे घर सामान्य जुआ घर हैं।

- जब किसी घर, कमरे, तम्बू, बाड़े, वाहन, स्थान, जलयान या स्थान में, जिसमें पिछली पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के अधीन प्रवेश किया गया हो या तलाशी ली गई हो, या उसमें पाए गए व्यक्तियों में से किसी

के शरीर के पास कोई ताश, पासा, जलपान-टेबल, कपड़ा, बोर्ड या जलपान के अन्य उपकरण पाए जाएं, तो जब तक प्रतिकूल प्रकट न हो जाए, यह साक्ष्य होगा कि ऐसा घर, कमरा, तम्बू, बाड़ा, वाहन, स्थान, जलयान या स्थान सामान्य जलपान गृह के रूप में उपयोग में लाया जाता है और उसमें पाए गए व्यक्ति वहां जलपान के प्रयोजन से उपस्थित थे, यद्यपि मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी या उसके किसी सहायक ने वास्तव में कोई जलपान नहीं देखा था।

7. गलत नाम और पता बताने पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर जुर्माना

- यदि कोई व्यक्ति किसी सामान्य जुआ घर में पाया जाता है, जिसमें इस अध्यादेश के प्रावधानों के तहत किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा प्रवेश किया गया है, किसी भी ऐसे अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर या किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लाए जाने पर ऐसे अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा उसका नाम और पता बताने की अपेक्षा किए जाने पर, उसे बताने से इंकार कर देगा या उपेक्षा करेगा, या कोई झूठा नाम या पता बताएगा, तो उसे उसी या किसी अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्ध किए जाने पर पांच सौ रुपए से अधिक का जुर्माना और ऐसे खर्चों का भुगतान करने का निर्णय सुनाया जा सकता है, जो ऐसे मजिस्ट्रेट को उचित प्रतीत हों और ऐसे जुर्माने और खर्चों का भुगतान न करने पर, या प्रथम दृष्टया, यदि ऐसा कोई मजिस्ट्रेट ऐसा नहीं करता है तो यह ठीक प्रतीत होता है, एक महीने से अधिक की अवधि के लिए कारावास दिया जा सकता है।

8. सामान्य जुआघर चलाने के लिए दोषी पाए जाने पर जुआ खेलने के उपकरण नष्ट कर दिए जाएंगे

किसी व्यक्ति को किसी ऐसे सामान्य जुआ घर को रखने या उपयोग में लाने, या जुआ खेलने के प्रयोजन से उसमें उपस्थित होने के लिए दोषसिद्ध किए जाने पर, दोषसिद्ध करने वाला मजिस्ट्रेट उसमें पाए गए सभी जुआ उपकरणों को नष्ट करने का आदेश दे सकता है और यह भी आदेश दे सकता है कि धन और अन्य जब्त वस्तुओं के लिए सभी या किसी प्रतिभूति को, जो जुआ उपकरण नहीं हैं, बेच दिया जाए और धन में परिवर्तित कर दिया जाए तथा उसमें जब्त सभी धन सहित उनकी आय को जब्त कर लिया जाए या अपने विवेकानुसार, उसके किसी भाग को उन व्यक्तियों को लौटाने का आदेश दे सकता है जो उसके लिए अलग-अलग हकदार प्रतीत होते हैं।

9. दांव पर लगाने का सबूत अनावश्यक

- किसी व्यक्ति को सामान्य जुआ घर चलाने या किसी सामान्य जुआ घर के प्रबंधन से संबंधित होने का दोष सिद्ध करने के लिए यह साबित करना आवश्यक नहीं होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी खेल में खेलते हुए पाया गया, वह किसी भी धन दांव या हिस्सेदारी के लिए खेल रहा था।

10. मजिस्ट्रेट किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति से शपथ लेने और साक्ष्य देने की अपेक्षा कर सकता है

- यह उस मजिस्ट्रेट के लिए वैध होगा, जिसके समक्ष कोई व्यक्ति लाया जाएगा, जो इस अध्यादेश के उपबंधों के अधीन प्रवेश किए गए किसी मकान, कमरे, तम्बू, बाड़े, वाहन, स्थान, जलयान या स्थान में पाया गया हो, कि वह ऐसे किसी व्यक्ति से शपथ या गंभीर प्रतिज्ञान पर परीक्षा करने और ऐसे मकान, कमरे,

तम्बू, बाड़े, वाहन, स्थान, जलयान या स्थान में किसी विधिविरुद्ध जुआ खेलने या ऐसे मकान, कमरे, तम्बू, बाड़े, वाहन, स्थान, जलयान या स्थान या उसके किसी भाग में पूर्वोक्त रूप में प्राधिकृत किसी मजिस्ट्रेट या अधिकारी के प्रवेश को रोकने, बाधा डालने या विलम्ब करने के प्रयोजन से किए गए किसी कार्य के संबंध में साक्ष्य देने की अपेक्षा करे।किसी व्यक्ति को, जिससे साक्षी के रूप में परीक्षा की अपेक्षा की जाती है, पूर्वोक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष लाए जाने पर ऐसी परीक्षा से, या किसी पश्चातवर्ती समय में उसी मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा या उसके समक्ष या किसी न्यायालय द्वारा या उसके समक्ष किसी कार्यवाही या विचारण में, जो ऐसे विधिविरुद्ध जुआ या पूर्वोक्त किन्हीं ऐसे कृत्यों से संबंधित हो, ऐसी परीक्षा से, या पूर्वोक्त विषय से संबंधित उससे पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से, इस आधार पर छूट नहीं दी जाएगी कि उसकी साक्ष्य से वह स्वयं ही अपराधी सिद्ध होगा।ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे साक्षी के रूप में परीक्षा की जानी अपेक्षित है, जो तदनुसार शपथ लेने या प्रतिज्ञान लेने या पूर्वोक्त किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करता है, उसके साथ सभी प्रकार से वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 178 या धारा 179 (जैसा भी मामला हो) में वर्णित अपराध करने वाले किसी व्यक्ति के साथ किया जाता है। [- - -] *[1957 के अधिनियम 27 द्वारा हटा दिया गया।]*

11. गवाहों को मुआवजा दिया गया

- कोई व्यक्ति जो इस अध्यादेश के विरुद्ध जुआ खेलने में संलिप्त रहा होगा और जिसकी जुआ खेलने से संबंधित इस अध्यादेश के किसी उपबंध के उल्लंघन के लिए किसी व्यक्ति के विचारण में मजिस्ट्रेट के समक्ष साक्षी के रूप में परीक्षा की जाएगी और जो ऐसी परीक्षा पर मजिस्ट्रेट की राय में, उन सब बातों के बारे में, जिनके बारे में उसकी ऐसी परीक्षा की जाएगी, अपने सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और विश्वसनीय खोज करेगा, तो तत्पश्चात् उक्त मजिस्ट्रेट से उस आशय का लिखित प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और ऐसे जुआ खेलने के संबंध में उस समय से पूर्व की गई किसी बात के लिए इस अध्यादेश के अधीन सभी अभियोजनों से मुक्त हो जाएगा।

12. अध्यादेश कुछ खेलों पर लागू नहीं होगा

- इस अध्यादेश की कोई भी बात किसी मात्र कौशल आधारित खेल पर लागू नहीं होगी, जो कि संयोग आधारित खेल से भिन्न है और संयुक्त खेल नहीं होगी, जब तक कि वह किसी सामान्य जुआघर में न खेला जाता हो।

13. सार्वजनिक सड़कों पर जुआ खेलना तथा पक्षियों और जानवरों को आपस में लड़ाना; सार्वजनिक सड़कों पर पाए जाने वाले जुआ खेलने के उपकरणों को नष्ट करना

- कोई पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक सड़क, स्थान या मुख्य मार्ग पर जुआ खेलते हुए पाए जाने पर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है; याकोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक सड़क या मुख्य मार्ग पर किसी पक्षी या पशु को लड़ाता है; यावहां उपस्थित कोई भी व्यक्ति पक्षियों और पशुओं की ऐसी सार्वजनिक लड़ाई में सहायता या प्रोत्साहन दे;ऐसे व्यक्ति को, जब पकड़ा जाए तो, अविलंब मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और वह पचास रुपए से अधिक का जुर्माना या साधारण या कठोर कारावास से दण्डनीय होगा, जो एक मास से अधिक की अवधि का नहीं होगा। *[1982 के*

अनुच्छेद 17 द्वारा प्रतिस्थापित।]और ऐसा पुलिस अधिकारी ऐसे सार्वजनिक स्थान में या उन व्यक्तियों के पास पाए गए जुआ खेलने के सभी उपकरणों को जब्त कर सकता है जिन्हें वह इस प्रकार गिरफ्तार करेगा और मजिस्ट्रेट अपराधी के दोषसिद्ध होने पर ऐसे उपकरणों को तुरंत नष्ट करने का आदेश दे सकता है।

14. किन अपराधों पर विचारण किया जा सकता है

- इस अध्यादेश के अधीन दण्डनीय अपराधों का विचारण उस स्थान पर अधिकारिता रखने वाले किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकेगा जहां अपराध किया गया हो।किन्तु ऐसे मजिस्ट्रेट को दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर, जुर्माने या कारावास की राशि के संबंध में, रोका जाएगा।

15. धारा के अंतर्गत पश्चातवर्ती अपराध के लिए दंड।

धारा 4 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किये जाने पर, जो कोई उस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए पुनः दोषी होगा, वह प्रत्येक ऐसे पश्चातवर्ती अपराध के लिए उस दण्ड की दुगुनी रकम से दण्डित किया जाएगा, जो वह ऐसे अपराध के प्रथम बार किये जाने पर देता।

16. जुर्माने का कुछ हिस्सा सूचना देने वाले को दिया जा सकेगा।

- मामले की सुनवाई करने वाला मजिस्ट्रेट, इस अध्यादेश की धारा 3 और 4 के अधीन लगाए जाने वाले जुर्माने के किसी भाग को, या इस अध्यादेश के अधीन जब्त और जब्त किए जाने के लिए आदेशित वस्तुओं के धन या आगम के किसी भाग को, मुखबिर को भुगतान किए जाने का निर्देश दे सकेगा।

17. जुर्माने की वसूली और उसका आवेदन

- इस अध्यादेश के अधीन अधिरोपित सभी जुर्मानों की वसूली , केन्द्रीय विधानमंडल के धारा [दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 386] *[अब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 421 देखिए] द्वारा विहित तरीके से की जा सकेगी। [1957 के अधिनियम 27 द्वारा निरस्त।]*

18. [-----] ***[1957 के अधिनियम सं. 27 द्वारा लोप किया गया।]***

19. [---] ***[1957 के अधिनियम सं. 27 द्वारा लोप किया गया।]***